सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

**अपील संख्याः 123/11** **निर्णय दिनांक 26.12.2017**

1. मांगीलाल
2. राजाराम
3. रेवन्तराम
4. सुगनीदेवी — पत्नि/पुत्र/पुत्रियॉ बालूराम जाति जाट(राईका)
5. सन्जूदेवी — निवासी ग्राम इन्द्रपालसर तहसील श्रीडूँगरगढ़।
6. गोरादेवी
7. आसीदेवी
8. कलावती
9. शान्तिदेवी
10. भंवरीदेवी

—अपीलांट्स

**—बनाम—**

1. जगमाल
2. रिछपाल उर्फ शिशपाल — पुत्र/पुत्रियॉ दानाराम जाति जाट(राईका)
3. भवंरी — निवासी इन्द्रपालसर बास तहसील
4. टीकूदेवी — श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. सुरजाराम पुत्र चान्दाराम
6. श्रवणराम — पुत्रगण आसूराम जाति जाट निवासी अमृतवासी
7. भंवरलाल — तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूँगरगढ़।
9. उपपंजीयक, श्रीडूँगरगढ़

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़**
**दिनांक 29—08—2011**

<u>उपस्थितः</u>

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 ता 4
3. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5
4. श्री सुरजाराम गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7
5. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

## –निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 29–08–2011 जिसके द्वारा अपीलांट्स का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के पिता बालूराम की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम इन्द्रपालसर बास राईकान स्थित खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 में 41 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 62 में रकबा 61 बीघा 6 बिस्वा इस प्रकारकुल तादादी 192 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही है। इसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा निहित चला आ रहा है। जिसके समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2016 से 2045 तक प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में इस ग्राम में सेटलमेंट होने पर उक्त गत् खसरा नम्बर के वर्तमान खसरा नम्बर 17 रकबा 2.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 9.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 8.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 रकबा 10.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 15.49 हेक्टर कुल तादादी 47.54 हेक्टर भूमि पैमूद हुई। दौराने दावा दानाराम प्रतिवादी का स्वर्गवास होने पर उसके जायज वारिसान के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज

हो गया तथा तत्पश्चात् माता एवं बहिनों ने दोनों भाईयों के नाम रिलिज डीड करा देने के कारण वादगत् भूमि दोनों के नाम इंतकाल दर्ज होने के पश्चात् उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट के पिता बालूराम ने अदालत मातहत के समक्ष दावा विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत करने पर अपना हिस्सा अलग करने का निवेदन किया। जिसका जवाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करके तमाम भूमि उसके नाम दर्ज करने की डिक्री जारी कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांटान् के पिता द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 20—05—2005 को अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनों पक्षों को साक्ष्य, गवाह व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम की जाकर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त वाद आज दिनांक को भी विचाराधीन चल रहा है। उक्त स्थिति का ज्ञान अदालत मातहत व दोनों पक्षों को होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि को विक्रय किया जा रहा है तथा लगभग 62 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6, 7 को विक्रय की जा चुकी है तथा आगे भी विक्रय करने पर उतारू है। उक्त तथ्य को अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है इसलिए उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय का यह आधार विधि विरूद्व होने एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट वादगत् भूमि के आधे हिस्से का खातेदार टीनेन्ट होने के कारण प्राईमाफेसी प्रकरण व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में सिद्व होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाटान का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29—08—2011 को निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कतई ही 1/2 हिस्सा स्व. बालूराम के वारिसान के नाते नहीं बनता है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि वादगत् भूमि में स्व. बालूराम का नाम गलत अंकित था। वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व. दानाराम के तथ्य को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादगत् आराजी की सम्पूर्ण खातेदारी स्व. दानाराम के नाम अंकित की गई व स्व.दानाराम की मृत्यु उपरान्त विरासतन इंतकाल अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा अपने हिस्से की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है जिन्होंने अपनी खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया गया है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त अथवा हक नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर 1/2 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादगत् भूमि पूर्व में भी स्व. बालूराम की खातेदारी भूमि नहीं रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि पर काफी रूपये खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के क्रेता एवं खातेदार गोरधनराम पुत्र भींयाराम और मूलाराम पुत्र हुक्माराम को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि बैक में रहन है। ऐसी स्थिति में बैंक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि उसका वादगत् भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त सिद्व होता हो। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादगत् आराजी ग्राम इन्द्रपालसर बास राईकान स्थित खेत खसरा नम्बर 14 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 15 रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 34 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 में 41 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 62 में रकबा 61 बीघा 6 बिस्वा इस प्रकारकुल तादादी 192 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसके सेटलमेंट होने पर उक्त गत् खसरा नम्बर के वर्तमान खसरा नम्बर 17 रकबा 2.65 हेक्टर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 9.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 73 रकबा 8.83 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 रकबा 10.51 हेक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 15.49 हेक्टर कुल तादादी 47.54 हेक्टर भूमि पैमूद हुई के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रस्तुत किया गया।

(2) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता दानाराम का 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादगत् भूमि पर अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। **अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 29—08—2011 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में अदालत मातहत द्वारा माना गया है कि अपीलांट द्वारा न तो क्रेता एवं खातेदार गोरधनराम व मूलाराम को पक्षकार बनाया गया तथा जिन खसरों पर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश व अप्रार्थीगण उनके खातेदार है और दावें में इन खसरों का अंकन नहीं है। दावे से हटकर अनुतोष अस्थाई निषेधाज्ञा में नहीं मांगा जा सकता।**

(3) अदालत मातहत के उक्त कथन की पुष्टि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—03—2011 के आदेश के अवलोकन से होती है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष खेत खसरा नम्बर 96/17, 96/18, 100/21, 102/22, 104/66, 107/73, 108/83, 111/86,



97/17, 99/18, 101/121, 103/22, 105/66, 106/73, 109/83,

110/86 की कुल किता 9 तादादी 62.23 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति की इस्तदुआ की गई थी। जबकि अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत के समक्ष व न ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के जो खसरा नम्बरान् का अंकन किया गया है वे बटा नम्बर कायम होने पर निम्नानुसार पैमूद हुए।

(4) अदालत मातहत द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि दावे में अंकित खसरा नम्बर से भिन्न हटकर खसरा नम्बरान् का अस्थाई व्यादेश नहीं मांगा जा सकता। अपीलांट्गण अदालत हाजा के समक्ष भी उक्त तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये है। चूंकि रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्त है ऐसी स्थिति में अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई कानूनी चूक कारित नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–08–2011 उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर